



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 432]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 7, 2017/कार्तिक 16, 1939

No. 432]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 7, 2017/KARTIKA 16, 1939

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2017

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017

सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.019.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 38 के उप-विनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(3) किसी समाधान योजना में, समाधान आवेदक और अन्य संबद्ध व्यक्ति की जानकारी का विवरण अंतर्विष्ट होगा, जिससे कि समिति समाधान योजना पर अपने अनुमोदन के लिए विचार करते समय विवेकपूर्ण विनिश्चय करने के लिए ऐसे आवेदक और अन्य संबद्ध व्यक्ति की विश्वसनीयता का निर्धारण करने में समर्थ हो सके।

स्पष्टीकरण: इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए,—

- “विवरण” के अंतर्गत समाधान आवेदक और अन्य संबद्ध व्यक्ति की बाबत निम्नलिखित शामिल होगा, अर्थात्:—

- पहचान;
- पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि, यदि कोई है;
- लंबित दांडिक कार्यवाहियां, यदि कोई हैं;
- कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निदेशक के रूप में कार्य करने संबंधी निरर्हता, यदि कोई है;

- (ड) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किसी बैंक या वित्तीय संस्था या उनके संघ द्वारा जानबूझकर व्यतिक्रमी के रूप में पहचान, यदि कोई है;
- (च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के किसी आदेश या किन्हीं निदेशों के अधीन प्रतिभूति बाजारों में प्रवेश करने या व्यापार करने से विवर्जन, यदि कोई हो; और
- (छ) पिछले दो वर्षों में कारपोरेट ऋणी के साथ संव्यवहार, यदि कोई हों।
- (ii) 'संबद्ध व्यक्ति' अभिव्यक्ति से अभिप्रेत है –
- (क) ऐसे व्यक्ति, जो समाधान आवेदक के संप्रवर्तक हैं या उसके प्रबंधमंडल या नियंत्रण में हैं;
- (ख) ऐसे व्यक्ति, जो समाधान योजना के क्रियान्वयन के दौरान कारपोरेट ऋणी के कारबार के संप्रवर्तक होंगे या उसके प्रबंधमंडल या नियंत्रण में होंगे;
- (ग) मद (क) और (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की नियंत्री कंपनी, समनुषंगी कंपनी, सहयुक्त कंपनी और संबंधित पक्षकार।”

3. मूल विनियमों के विनियम 39 के उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(2) समाधान वृत्तिक, समिति को ऐसी सभी समाधान योजनाएं, जो संहिता और उसके अधीन बनाए गए विनियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन करती हैं, अपने द्वारा संप्रेक्षित, पाए गए या निर्धारित निम्नलिखित संव्यवहारों के, यदि कोई हैं, विवरण:—

- (क) धारा 43 के अधीन अधिमानी संव्यवहार;
- (ख) धारा 45 के अधीन न्यून मूल्यांकित संव्यवहार;
- (ग) धारा 50 के अधीन उद्घापक प्रत्यय संव्यवहार; और
- (घ) धारा 66 के अधीन कपटपूर्ण संव्यवहार,

और ऐसे संव्यवहारों की बाबत न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के आदेशों सहित यदि कोई हैं, प्रस्तुत करेगा।

डॉ. नवरंग सैनी, पूर्णकालिक सदस्य

[विज्ञापन-III/4/असा./300/17]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.004, तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उसमें तत्पश्चात्

- (1) अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.013, तारीख 16 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2017;
- (2) अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.018, तारीख 5 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2017

द्वारा संशोधन किए गए थे।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2017

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA (INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS FOR CORPORATE PERSONS) (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2017

No. IBBI/2017-18/GN/REG019.—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of Section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy, Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Third Amendment) Regulations, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 38, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

“(3) A resolution plan shall contain details of the resolution applicant and other connected persons to enable the committee to assess the credibility of such applicant and other connected persons to take a prudent decision while considering the resolution plan for its approval.

Explanation : For the purposes of this sub-regulation,—

- (i) ‘details’ shall include the following in respect of the resolution applicant and other connected person, namely:—
 - (a) identity;
 - (b) conviction for any offence , if any, during the preceding five years;
 - (c) criminal proceedings pending, if any;
 - (d) disqualification, if any, under Companies Act, 2013, to act as a director;
 - (e) identification as a willful defaulter, if any, by any bank or financial institution or consortium thereof in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India;
 - (f) debarment, if any, from accessing to, or trading in, securities markets under any order or directions of the Securities and Exchange Board of India,; and
 - (g) transactions, if any, with the corporate debtor in the preceding two years.”;
- (ii) the expression ‘connected persons’ means-
 - (a) persons who are promoters or in the management or control of the resolution applicant;
 - (b) persons who will be promoters or in management or control of the business the corporate debtor during the implementation of the resolution plan;
 - (c) holding company, subsidiary company, associate company and related party of the persons referred to in items (a) and (b) .”.

3. In the principal regulations, in regulation 39, for sub-regulation (2) ,the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(2) The resolution professional shall submit to the committee all resolution plans which comply with the requirements of the Code and regulations made thereunder along with the details of following transactions, if any, observed, found or determined by him:—

- (a) preferential transactions under section 43;
- (b) undervalued transactions under section 45;
- (c) extortionate credit transactions under section 50; and
- (d) fraudulent transactions under section 66,

and the orders, if any, of the adjudicating authority in respect of such transactions.”.

Dr. NAVRANG SAINI, Whole Time Member

[ADVT.-III/4/Exty./300/17]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 were published in the Gazette of India Extraordinary *vide* notification No. IBBI/2016-17/GN/REG004 on 30th November, 2016 and was subsequently by—

- (1) the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2017 *vide* notification No. IBBI/2017-18/GN/REG013, dated the 16th August, 2017;
- (2) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2017 *vide* notification no. No. IBBI/2017-18/GN/REG018, dated the 5th October, 2017.